

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)(02)डीएलबी/2022/20,017

दिनांक: 18-11-2022


आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर निगम जोधपुर-दक्षिण एवं नगर परिषद मकराना के विरुद्ध विभिन्न अधिनस्थ न्यायालयों में लम्बित न्यायिक प्रकरणों की प्रभावी पैरवी करने हेतु निम्नांकित अधिवक्ताओं को नियमानुसार देय पारिश्रमिक भुगतान पर पैनल अधिवक्ता/ विधि सलाहकार एतद्वारा नियुक्त किया जाता है :-

| क्र. सं. | अधिवक्ता का नाम       | Enrollment No. | नियुक्त किये जाने वाले नगरीय निकाय का नाम |
|----------|-----------------------|----------------|---|
| 1.       | श्रीमती संगीता मित्तल | R/384/2013     | नगर निगम जोधपुर-दक्षिण                    |
| 2.       | श्री अनिल मरवण        | R/614/2011     | नगर निगम जोधपुर-दक्षिण                    |
| 3.       | श्री मोहम्मद आबिद     | R/3690/2018    | नगर परिषद मकराना                          |


इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानदेय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.2013 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.2014 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान उपरोक्त संबंधित नगर निगम/परिषद से देय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
(हृदेश कुमार शर्मा)  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)(02)डीएलबी/2022/20,018-20,031 दिनांक: 18-11-2022  
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर/अजमेर।
5. महापौर/आयुक्त, नगर निगम जोधपुर-दक्षिण।
6. सभापति/आयुक्त, नगर परिषद मकराना।
7. श्रीमती संगीता मित्तल/श्री अनिल मरवण, अधिवक्ता मार्फत नगर निगम जोधपुर-दक्षिण।
8. श्री मोहम्मद आबिद, अधिवक्ता मार्फत नगर परिषद मकराना।
9. प्रोग्रामर, IT सेल निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. सुरक्षित पत्रावली।

  
(संजय माथुर)  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी